उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा0-3–1253/दस–935-75

लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :––

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नया नियम 12 का बढ़ाया जाना

2––उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 12 बढ़ा दिया जायेगा :––

"12(1) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में, इस नियमावली के अधीन मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान या/और पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र हों, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध से या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित हो तो उपदान में अपना अंश पाने का उसका दावा और पारिवारिक पेंशन की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तगत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र परिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं, उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(2) (एक) यदि उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति––

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिये दोष सिद्ध किया जाय तो वह उपदान का अपना अंश या/और पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित किया जायेगा जो परिवार के अन्य पात्र सदस्य/सदस्यों को, यदि कोई हो, देय होगा।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उपदान का उसका अंश या / और पारिवारिक पेंशन उसे देय होंगे।

(दो) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्ध ऐसे असंवितरित मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान पर, जिसका सरकारी सेवक को अनुमन्य हो जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो, और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर देय पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होंगे"

आज्ञा से,

राज कुमार दर,

सचिव।

टिप्पणी:—अधिसूचना संख्या जी–2–794/दस––917–1961, दिनांक 29 मार्च, 1962 के अधीन जारी किये गये, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को 31 अगस्त, 1968 तक किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किया गया था । बाद में निम्न-लिखित संशोधन किये गये :—

1) अधिसूचना संख्या जी-2–875/दस––927–1958, दिनांक 31 मार्च, 1970 ।

(2) अधिसूचना संख्या जी-2–2173/दस––917–1964, दिनांक 29 सितम्बर, 1975 ।

(3) अधिसूचना संख्या जी-3–1477–76/दस––52–74, दिनांक 5 जून, 1976 ।

(4) अधिसूचना संख्या जी-3–1200/दस––935–75, दिनांक 20 जून, 1979 ।

———

संख्या सा–3-1253 (1)/दस–935-75

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1––उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

2––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3––सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

4––विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय ।

5––अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरोरिया,
उप सचिव ।

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBHAG-3

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-3–1253/X–935-75, dated September 16, 1981 :

No. G-3–1253/X–935-75

Dated Lucknow, September 16, 1981

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1981

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Retirement Benefits (Fifth Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force with effect from their publication in the *Gazette*.

Insertion of new rule 12.

2. In the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961, *after* rule 11, the following new rule 12 shall be *inserted*.

"12. (1) If a person, who in the event of death of a Government servant while in service, is eligible to receive death-*cum*-retirement gratuity or/and family pension under these rules, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity and in the case of family pension, the claim of such a person, including other eligible member/members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) (i) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1) above, the person concerned–

(*a*) is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, he shall be debarred from receiving his share of gratuity or/and family pension which shall be payable to other eligible member/members of the family, if any ;

(*b*) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the Government servant, his share of gratuity or/and family pension shall be payable to him.

(ii) The family pension under clauses (*a*) and (*b*) above shall be payable from the date of death of the Government servant.

(3) The provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2) above shall also apply to the undisbursed death-*cum*-retirement gratuity which after becoming admissible to the Government servant is not paid to him before death and the family pension becoming payable on the death of a Government servant after his retirement."

By order,

RAJ KUMAR DAR,

Vitta Sachiv.